कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 3003 / 837 / आउशि / सम. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13-06-22

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय :– **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में " अंग्रेजी " में अधिसूचित जाति को मान्य करने बाबत।**

संदर्भ :– अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 2367 / आर 1102 / सा. / 2022 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26.05.2022।

******

उपरोक्त विषयांतर्गत सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन से प्राप्त पत्र " **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में " अंग्रेजी " में अधिसूचित जाति को मान्य करने** संबंधित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

13.6.2022

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 3004 / 837 / आउशि / सम. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13-06-22

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

13.6.2022

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

पंजी क्रमांक 1102/उ.शि./2/28-1
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
दिनांक 18/5/22

क्रमांक एफ 13–3/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2022

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में **"अंग्रेजी" में अधिसूचित जाति** को मान्य करने बाबत्।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2013

कृपया इस विभाग के संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें।

2/ वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी किये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आ रही कठिनाईयों के संबंध में शासन के ध्यान में लाया गया कि, विभिन्न जातियों/ समुदायों में हिन्दी में उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24.09.2013 की कंडिका–11.3 में उल्लेख है कि, विशेष परिस्थिति में किसी आवेदक को अंग्रेजी में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा यदि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अथवा अंग्रेजी में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने की मांग की जाती है तो समुचित जांच एवं प्रकिया अपनाने के उपरान्त उसे उक्त प्रारूप में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

4/ उक्त परिपत्र में दिये निर्देश के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हिन्दी/अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जाति नामों की सूची प्रकाशित की गई है। उक्त प्रकाशित सूची में **अंग्रेजी** उच्चारण में किसी प्रकार की भ्रांति या विवाद नहीं है।

क्रमशः...2

5/ अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में ''अंग्रेजी'' में **अधिसूचित जाति** का ही उल्लेख किया जाए।

6/ उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13–3/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
5. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
7. अवर सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
8. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ रायपुर।
9. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
10. अध्यक्ष/सचिव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
11. अध्यक्ष, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
13. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर इस आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग